2014-15 से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की 10 वर्ष की उपलब्धियां

➢ आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम

- सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को 28.12.2016 को अधिनियमित किया। यह अधिनियम 19.04.2017 से लागू हुआ। केंद्रीय नियम 15.06.2017 को अधिसूचित किए गए थे।
- आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में **दिव्यांगों की श्रेणियां 7 से बढ़ाकर 21** कर दी गई हैं।
- दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में **आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4%** कर दिया गया है। मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण हेतु उपयुक्त चिन्हित 3566 पदों (1046-ग्रुप ए, 515 - ग्रुप बी, 1724-ग्रुप सी और 281- ग्रुप डी) की सूची दिनांक 04.04.2021 को अधिसूचित की।
- सरकारी/ सरकारी सहायता प्राप्त **उच्च शिक्षण संस्थानों** में दिव्यांग छात्रों के लिए सीटों में आरक्षण **3% से बढ़ाकर 5%** कर दिया गया है।
- 17.05.2022 को, केंद्र सरकार ने ग्रुप सी के अंदर, ग्रुप सी से ग्रुप बी तक, ग्रुप बी के अंदर से लेकर ग्रुप ए के सबसे निचले स्तर तक के कैडर संख्या में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में 4% आरक्षण प्रदान करने के निर्देश जारी किए।

➢ मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन(सीसीपीडी) सीसीपीडी का कार्यालय सितंबर 1998 से कार्य कर रहा है ।

मुख्य आयुक्त के मुख्य कार्यों को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 75 के तहत परिभाषित किया गया है जो निम्नानुसार हैं:

- दिव्यांगजनों को अधिकारों से वंचित करने की जांच, स्व-प्रेरणा से या अन्यथा, करना और उन मामलों के संबंध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षा प्रदान करना, जिनके लिए केंद्र सरकार समुचित सरकार है, और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए मामले को उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष रखना; आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 आदि के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- वर्ष 2014-15 से, सीसीपीडी के कार्यालय में लगभग 41,054 मामले दर्ज किए गए हैं और मार्च, 2024 के अंत तक लगभग 40094 (बैकलॉग सहित) मामलों का निपटारा किया गया ।

➢ भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) को निम्नलिखित के लिए अधिदेशित किया गया है:

- दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विनियमित और मॉनीटर करना ।

- मान्यता प्राप्त अर्हता रखने वाले व्यक्तियों के केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रखरखाव करना ।
- पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- इसने लगभग 57 कार्यक्रमों को मान्यता दी है जिसमें मास्टर, स्नातक, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तर के कार्यक्रम शामिल हैं।
- पंजीकृत पुनर्वास पेशेवरों/कर्मियों की संख्या।
- पंजीकृत पेशेवरों/कार्मिकों की कुल संख्या: --2,34,139 है।

इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- ❖ विशेष शिक्षक: 1,80,917
- ❖ ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट: 15,503
- ❖ क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक: 3,842
- ❖ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक: 2,864
- ❖ प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिस्ट: 3,402
- ❖ वाक् और श्रवण तकनीशियन: 4,738

➢ **<u>भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर</u>**

- एलिम्को को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (लाभ के उद्देश्य से नहीं) के तहत 30.11.1972 को निगमित किया गया था।
- केंद्र सरकार से 200.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से 338.04 करोड़ रुपये की लागत से एलिम्को का आधुनिकीकरण किया गया।
- आधुनिकीकरण के बाद, एलिम्को की उत्पादन क्षमता में 2.5 गुना वृद्धि हुई।
- आधुनिक सहायक उपकरणों के उत्पादन के लिए एलिम्को ने डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुमोदित व्हीलचेयरों के दो मॉडलों के विनिर्माण के लिए मैसर्स मोटिवेशन, यूके के साथ प्रौद्योगिकी अंतरण करार (टीटीए) पर हस्ताक्षर किए।

➢ **नेशनल हैंडिकैप्ड फाइनेंस डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएचएफडीसी) को** 24 जनवरी, 1997 को कंपनी अधिनियम, 1956 (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) की धारा 25 के तहत लाभ का उद्देश्य न रखने वाली कंपनी के रूप में शामिल किया गया जो पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है।

एनडीएफडीसी पात्रता मानदण्डों को पूरा करने वाले सभी पात्र दिव्यांगजनों को सुविधाजनक शर्तों पर रियायती ब्याज दर पर ऋण सहायता प्रदान करता है। विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण सहायता, ब्याज दर और चुकौती अवधि का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	योजना	अधिकतम ऋण	लाभार्थी द्वारा देय ब्याज दर
1.	दिव्यांगजन स्वाबलम्बन योजना	50.00 लाख रूपये प्रति दिव्यांगजन	5-9% प्रति वर्ष #
2.	विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना	60,000/- रूपये प्रति दिव्यांगजन	12.5% प्रति वर्ष

शिक्षा ऋण के लिए: ब्याज दर 4% प्रति वर्ष होगी।

*** दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना के तहत 50,000/- रुपये तक के स्वरोजगार ऋणों (शिक्षा ऋण के लिए नहीं) में दिव्यांग महिलाओं/ओएच के अलावा अन्य दिव्यांगजनों को ब्याज दर में 1% की छूट की अनुमति है। छूट एनडीएफडीसी द्वारा वहन की जाती है।**

- **राष्ट्रीय संस्थान -** इसके तहत 9 राष्ट्रीय संस्थान (एनआई) हैं:

- व्यापक पुनर्वास सेवाएं तथा क्रॉस डिसेबिलिटी की प्रारंभिक पहचान करना और हस्तक्षेप सेवाएं प्रदान करना।
- पुनर्वास पेशेवरों/कर्मियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करना।
- दिव्यांगताओं के संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना और दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी गतिशीलता और सशक्तिकरण के लिए सहायक यंत्र और सहायक उपकरणों उपलब्ध करना।
- 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान, इन एनआई द्वारा 1.79 करोड़ दिव्यांगजनों को सेवा प्रदान की गई और 2206.22 करोड़ रुपये सहायता अनुदान के रूप में जारी किए गए।

राष्ट्रीय संस्थानों की विस्तारित शाखाओं के रूप में देश भर में स्थापित 25 समेकित पुनर्वास केन्द्र:

- सभी श्रेणियों के दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना और पुनर्वास पेशेवरों, कामगारों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना ।
- दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा प्रदान करना और कौशल विकास के कार्यक्रम आयोजित करना तथा माता-पिता और समुदाय के बीच दिव्यांगजनों की जरूरतों और अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

- 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान, सीआरसी को सहायता अनुदान के रूप में 449.40 करोड़ रुपये जारी किए गए और 58.65 लाख लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान की गई।

नया राष्ट्रीय संस्थान

भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली:

- भारतीय सांकेतिक भाषा में शिक्षण और अनुसंधान का उपयोग करने के लिए जनशक्ति विकसित करने के मुख्य उद्देश्य से सितंबर, 2015 को इसे स्थापित किया गया।
- भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा अनुमोदित 02 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम अर्थात् डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज (डीटीआईएसएल) और डिप्लोमा इन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटिंग (डीआईएसएलआई) चलाता है।
- माता-पिता और परिवार के सदस्यों, विशेष शिक्षकों, शिक्षकों आदि के लिए स्व-शिक्षण मोड में 40 घंटे का ऑनलाइन आईएसएल मॉड्यूल हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और आई-जीओटी प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क उपलब्ध है ।
- बधिर दिव्यांगजनों को दुभाषिया तक पहुंच प्रदान करने के लिए निःशुल्क वीडियो रिले सेवा (वीआरएस) प्रदान करता है।
- अकादमिक, वित्तीय और बैंकिंग, एसटीईएम, आदि जैसे डोमेन के लिए आईएसएल शब्दकोश विकसित और लगातार अपडेट करता है। आज तक 10000 से अधिक शब्द हैं जो यूट्यूब, आईएसएलआरटीसी और डीईपीडब्ल्यूडी की वेबसाइटों, दीक्षा पोर्टल जैसे कई प्लेटफार्मों पर उपलब्ध हैं और मोबाइल ऐप में 'साइन लर्न' के रूप में भी उपलब्ध हैं।
- कुल 183 श्रवण बाधित छात्रों को आईएसएल दुभाषियों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है और 79 बधिर छात्रों को आईएसएल शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।.
- आवश्यकता आधारित बुनियादी आईएसएल प्रशिक्षण पर 1000 से अधिक डीएमआरसी फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं (ग्राहक सेवा) को प्रशिक्षित किया गया।
- शैक्षिक सामग्री को भारतीय सांकेतिक भाषा में विकसित करने के लिए एनआईओएस और एनसीईआरटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- सुगम्य प्रारूप में बधिर छात्रों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण और एसएससी कोचिंग प्रदान करता है।
- आईएसएलआरटीसी की वेबसाइट पर दुभाषिया और बधिर स्कूलों की निर्देशिका को नियमित रूप से अपडेट करता है। आज की तारीख में लगभग 304 दुभाषिए और 172 बधिर स्कूल हैं ।
- दुभाषियों की निर्देशिका और बधिर स्कूलों को नियमित रूप से आरएसएलआरटीसी वेबसाइट पर अद्यतन (अपडेट) करता है। आज की तारीख में लगभग 304 दुभाषिए और 172 बधिर स्कूल हैं।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सीहोर:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 179.54 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर) की स्थापना को मंजूरी दी है जिसमें निर्माण के लिए 105.68 करोड़ रुपये शामिल है।
- इस संस्थान को सितंबर, 2019 में सीहोर में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए गए अस्थायी आवास से संचालित किया गया था। एनआईएमएचआर भवन के सर्विस ब्लॉक का उद्घाटन माननीय मंत्री (एसजे एंड ई) द्वारा 13.03.2024 को किया गया है।
- अब, एनआईएमएचआर ने शेरपुर, सीहोर, मध्य प्रदेश में स्थित अपने स्थायी परिसर से कार्य करना शुरू कर दिया है।

अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र, ग्वालियर (एबीवी-टीसीडीएस)

मंत्रिमंडल ने दिनांक 28.02.2019 को हुई अपनी बैठक में ग्वालियर (म.प्र.) में एक दिव्यांग खेल केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति दी। यह केंद्र म.प्र सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 दिनांक 22.09.2021 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है, जिसमें प्राधिकारी इस केंद्र की गतिविधियों की देखरेख करने वाले शासी निकाय और कार्यकारी समितियां हैं।

लक्ष्य और उद्देश्य:

- मानदंडों के अनुसार पूर्ण सुगम्यता के साथ दिव्यांग खिलाड़ियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए खेलों हेतु एक अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना।
- विशेषीकृत खेल अवसंरचना सृजित करना ताकि केन्द्र में पैरा-खिलाड़ी कड़े और विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।
- अधिक से अधिक संख्या में खेल गतिविधियों में दिव्यांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित करना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाना।
- समाज में दिव्यांगजनों के एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने और अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद करना।

एबीवी-टीसीडीएस में सुविधाएं

एबीवी-टीसीडीएस दिव्यांगजनों के लिए खेल प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे वे पैरालिंपिक, डेफलिंपिक, विशेष ओलंपिक और अन्य अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। सुविधाओं में आउटडोर और इनडोर गतिविधियाँ, एक छात्रावास और खेल सुविधाओं की एक श्रृंखला शामिल है

- **'दिव्यांग छात्रों' के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं:** प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, उच्च श्रेणी शिक्षा, नेशनल फेलोशिप, नेशनल ओवरसीज और दिव्यांग छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग जैसे 6 घटकों के साथ एक अम्ब्रेला छात्रवृत्ति योजना 2014-15 से शुरू की गई थी। डीबीटी मोड में 2.57 लाख दिव्यांग छात्रों को 834.74 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति जारी की गई।

➢ **<u>सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजन सहायता (एडिप) योजना:</u>** विभाग 'सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजन सहायता (एडिप) योजना' नामक एक योजना लागू कर रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और सहायक उपकरण वितरित करने के लिए धनराशि जारी की गई है, ताकि दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर का विकास हो सके।

- लाभार्थियों का पंजीकरण अर्जुन पोर्टल (https://adip.depwd.gov.in/) के माध्यम से भी किया जा रहा है। लाभार्थी अब अपेक्षित सहायक यंत्रों और उपकरणों के लिए एमआईएस पोर्टल पर लॉगिन द्वारा सीधे अपना पंजीकरण करा सकते हैं
- इस योजना के तहत पिछले दस वर्षों के दौरान 2055.42 करोड़ रुपये की लागत से 28.79 लाख दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए हैं।
- 65786 मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरित किए गए
- 6764 कॉक्लियर इंप्लांट सर्जरी (एडिप के तहत 5960 और सीएसआर के तहत 804) सफलतापूर्वक पूरी की गईं।
- 10 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं।

➢ **<u>दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस):</u>** योजना को दिनांक 01.04.2022 को संशोधित किया गया है जिसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 के अनुसार सभी 21 दिव्यांगताओं को कवर करने के लिए डीडीआरएस घटक की मॉडल परियोजनाओं की संकल्पना की गई है और मॉडल परियोजनाओं की संख्या 9 से घटाकर 8 कर दी गई है, जबकि डीडीआरसी घटक में, अधिकतम स्वीकार्य जनशक्ति का प्रावधान 12 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया है।

- डीडीआरएस योजना दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को अनुदान प्रदान करती है।
- पिछले दस वर्षों के दौरान: डीडीआरएस के तहत 4730 परियोजनाओं को 805.66 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान जारी किया गया है, जिससे 3,49,240 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।
- प्रस्तावों को विभाग के ई-अनुदान पोर्टल के माध्यम से संसाधित (प्रोसेस) किया जाता है।
- डीडीआरसी जिला स्तर पर दिव्यांगजनों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए डीडीआरएस योजना के तहत एक उप घटक है जिसमें शुरू में ही पता लगाना और हस्तक्षेप, परामर्श और चिकित्सा पुनर्वास और दिव्यांगता के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद में सहायता करना शामिल है।
- वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 74 डीडीआरसी को केंद्रीय सहायता से वित्त पोषित किया गया है। देश के प्रत्येक जिले में डीडीआरसी की स्थापना के प्रयास जारी हैं।

➢ **<u>दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (सिपडा) के कार्यान्वयन के लिए योजनाएं</u>** एक व्यापक "केंद्रीय क्षेत्रक योजना" है जिसमें निम्नलिखित प्रमुख घटक शामिल हैं:

(क) दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण का सृजन (1998-99 से प्रारंभ): देश भर में मौजूदा सरकारी भवनों, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थानों/संगठनों/विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक भवनों, राज्य सरकार के सचिवालय, राज्य दिव्यांगजन आयुक्त के कार्यालय आदि में बाधा मुक्त वातावरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

- 2014-15 से 2024-25 (**31.05.2024 तक**) के लिए, स्वायत्त संगठन/एनआई और वैधानिक निकायों सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के 10019 भवनों के पुनर्निर्माण (रेट्रोफिटिंग) के लिए 167.45 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं

(ख) सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) माननीय प्रधानमंत्री ने 3 दिसंबर, 2015 को एआईसी का शुभारंभ किया जिसमें 3 कार्यक्षेत्र (सेक्टर) शामिल हैं।

भौतिक वातावरण (अवसंरचना)

राज्य सरकार के भवन

चरण 1 –

- 1671 भवनों का पैनल लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षण किया गया
- 1314 भवनों की रेट्रोफिटिंग के लिए 563.85 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान। 20 राज्यों द्वारा 623 भवनों में निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

चरण 2 & 3 –

- 8 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने सूचित किया है कि 2851 भवनों को रेट्रोफिटिंग के लिए चुना गया है

केंद्र सरकार के भवन

- सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अनुरक्षित **1100 चयनित भवनों** में से 1100 भवनों को सुगम्य बनाया गया

परिवहन - रेल, वायु और सड़क (बसें)

रेलवे स्टेशन

- सभी 709 ए1, ए और बी स्टेशनों को सुगम्य बनाया गया (रैंप, लिफ्ट, आरक्षित पार्किंग आदि)

हवाई अड्डे

- सभी 35 अंतरराष्ट्रीय और 69 घरेलू हवाई अड्डों में से 55 को सुगम्य बनाया गया (लिफ्ट - ऑडियो साइनेज और ब्रेल, रैंप और शौचालय)

बसें

- 42,248 (29.05%) एसटीयू बसों को आंशिक रूप से सुगम्य बनाया गया और **8,695 (5.96%) बसों** को पूरी तरह से सुगम्य बनाया गया।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पारिस्थितिकी तंत्र

- **राज्य सरकार की वेबसाइटें**

676 वेबसाइटों को सुगम्य बनाया गया है और 476 सुगम्य वेबसाइटों को लाइव किया गया है

- **केंद्र सरकार की वेबसाइटें**

95 सुगम्य वेबसाइटों को लाइव किया गया है

- **सांकेतिक भाषा दुभाषिए**

आईएसएलआरटीसी द्वारा दीर्घकालिक, अल्पावधि और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से 1000 से अधिक सांकेतिक भाषा दुभाषियों को प्रशिक्षित किया गया।

- **सुगम्य टीवी देखना**

19 समाचार चैनलों द्वारा 2447 सुगम्य समाचार बुलेटिन और 17 सामान्य मनोरंजन चैनलों द्वारा 3686 सुगम्य निर्धारित कार्यक्रम/फिल्में प्रसारित की जा रही हैं।

(ग) दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना: यह मार्च, 2015 में शुरू की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के कौशल को बढ़ाना था ताकि वे समाज के आत्मनिर्भर और उत्पादक सदस्य बन सकें। प्रशिक्षण पैनलबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों (ईटीपी) के माध्यम से प्रदान किया जाता है जिसमें सरकारी संगठन (जीओ) और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) शामिल हैं।

इसकी स्थापना के बाद से, 2023-24 तक 1.94 लाख दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण के लिए 204.68 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(घ) विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी): भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डेटा बेस बनाने और सभी दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड जारी करने के उद्देश्य से 2016-17 में विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) परियोजना शुरू की।

दिव्यांगजनों के मूल्यांकन के लिए 12 मार्च, 2024 के संशोधित दिशानिर्देश 14 मार्च, 2024 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए हैं। यूडीआईडी पोर्टल का नया संस्करण 6 मई, 2024 को शुरू किया गया है।

अब तक, 1.10 करोड़ से अधिक यूडीआईडी कार्ड पूरे देश में स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से तैयार और जारी किए गए हैं।

(ङ) जागरूकता सृजन कार्यक्रम (एजीपी) विभाग देश भर में सिपडा योजना के तहत एक घटक के रूप में "जागरूकता सृजन और प्रचार योजना" लागू कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों की क्षमताओं के बारे में कर्मचारियों और समकक्ष समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सामान्य जागरूकता सृजन करना और राज्य/जिला/ब्लॉक स्तरीय कार्यशालाओं के माध्यम से दिव्यांगता से संबंधित मामलों पर नियमित आधार पर केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित और सुग्राही बनाना है।

दिव्य कला शक्ति एजीपी के तहत अब तक 12 दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया गया है।

दिव्य कला मेला एजीपी के तहत अब तक 12 दिव्य कला मेला आयोजित किए जा चुके हैं।